

उत्तर प्रदेश गजट, २७ अगस्त, १९५४

११७६

35

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल सैंड एक्वीजिशन आफिसरों को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि ये स्पेशल सैंड एक्वीजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :-

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	बनारस
२	श्री त्रिलोक सिंह	फैजाबाद
३	श्री फौज हुसैन	शांसी
४	श्री दोनानाथ शर्मा	गोरखपुर

२४ अगस्त, १९५४ ई०

सं० ५६२१/१-अ-५०६-५०-सैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (सो) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कल्याण सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

विविध

२३ अगस्त, १९५४ ई०

सं० ३२०५/१४-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिवर्धमानक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के सेक्टर ४ के निदेश इससे संलग्न प्रत्यक्ष में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रस्थापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अंतर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	रुड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्णन
१	ग्रैंड ट्रंक रोड, मील ५६२/० से लेकर मील ६६३/० तक	कानपुर	मी० फ० फी० ७१ ० ०	जमोरा की हवामो परपर या सीमेंट के स्तम्भों या लाइनों द्वारा उस स्थान पर की गई है।
२	कानपुर-फाल्गुनी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ६६/० तक	"	४४ ० ०	"
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील २/० से लेकर मील ३९/० तक	"	३७ ० ०	"
४	ग्रोहडमुगल रोड, मील ११६/० से मील १७३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	सखनऊ-कानपुर सड़क, मील ० से लेकर मील ४६/३-६४० फीट तक	लखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	"
६	सखनऊ-बरेली सड़क मील ० से लेकर मील १५२/० तक	सखनऊ, सीतापुर, बाह- १५२	० ०	"
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील ० से लेकर १०५/० तक	जौनपुर, बरेली	१०५ ० ०	"
८	लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मील ० से लेकर मील २२५ फीट तक	सखनऊ, रायबरेली, १०५	० ०	"
९	लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मील ० से लेकर मील २२५ फीट तक	सखनऊ, रायबरेली, ५५	१ २२५	"
१०	लखनऊ-फैजाबाद सड़क, मील ० से लेकर मील ३६६ फीट तक	लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद	३६६ ३ ३६६	"

(SANJEEV ENGINEER)
Executive Engineer
BTO III UPOTCL
Lucknow

प्रतिहस्ताकरित

Dr. H. K.

प्रभागाध्यक्ष निदेशक
का. बा. वन प्रभाग
२ बापवडी

भाग १]

भारत सरकार, नई दिल्ली, १९५५

१९५५

क्रम सं०	भूमि का नाम जो भारतीय मूल ऐश्वर्य पट्टिका के अन्तर्गत रक्षित मूल घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई फीटों में	सोमा का धर्मन
१०	दलाहाबाद-कंजाबाद सड़क, मोल ०।० से लेकर मोल ६-५१३ फी० तक	दलाहाबाद, प्रतापगढ़, मुल्तानपुर, कंजाबाद	६० ५ ५१३	जमीन की हवेली पर या सीमेंट के रस्ता या लाइनों द्वारा या १५ नं० की मां है।
११	धाराबंकी-वहरामघाट सड़क, मोल ०।० से लेकर मोल २५०।० तक	धाराबंकी	२५ ० ०	"
१२	सीतापुर-जहंगीराबाद सड़क, मोल ०।० से लेकर मोल २५०।० तक	सीतापुर	२५ ० ०	"
१३	मेरठ-बरेली सड़क (तिसाय रामपुर स्टेट के), मोल ३४०।० से लेकर मोल ८६।५-३०० फीट तक और मोल १०६।७-६८ फी० से लेकर मोल १२६०।० तक	मुरादाबाद और बरेली	७४ ६ २३२	"
१४	बरेली-मथुरा सड़क मोल, ०।० से लेकर मोल ५०।० तक	बरेली और मथुरा	५० ० ०	"
१५	बरेली-अल्मोड़ा सड़क, मोल ०।० से लेकर मोल ६३०।० तक	बरेली और नैनीताल	६३ ० ०	"
१६	बरेली-पोलीभीत सड़क, मोल ०।० से लेकर मोल ३३०।० तक	बरेली और पोलीभीत	३३ ० ०	"
१७	पोलीभीत-टनकपुर सड़क, मोल ३३०।० से लेकर मोल ६२०।० तक	पोलीभीत और नैनीताल	२६ ० ०	"
१८-(अ)	जोधा-विजनीर सड़क, मोल १६०।० से लेकर मोल ७८।६ तक	मुरादाबाद और विजनीर	५९ ६ ०	"
१८-(ब)	विजनीर-रावली सड़क, मोल ०।० से लेकर मोल ७०।० तक	मुरादाबाद और विजनीर	७ ० ०	"

सं० ३२०८ (२)/१४-द्वितीय फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) को धारा ३० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रक्षित वनों (protected forests) में जो दिनांक २३ अगस्त, १९५५ को विज्ञप्ति संख्या ३२०८/१४ द्वारा इस रूप में प्रख्यापित किए गये थे, लगे हुए और बढ़ते हुए पेड़ों के निम्नलिखित वर्गों को इस विज्ञप्ति के दिनांक से सुरक्षित (reserved) प्रख्यापित करते हैं:-

वृक्षों के नाम

१-बबूल	२२-बरगद
२-खैर	२३-गूलर
३-झरू	२४-पाकड़
४-सफेद सिरिस	२५-रोपल
५-हल्दी	२६-कंथा
६-काला सिरिस	२७-गम्हार या खमार
७-भीम	२८-कंगू या पापड़ो
८-कदम	२९-सागौन
९-रियोज	३०-धौरंग
१०-वाकली	३१-धाम
११-महुआ	३२-वर्कन
१२-कचनार	३३-नीम चमेला
१३-सेमल	३४-तुल
१४-टाक	३५-मोससरो
१५-श्रमनतास	३६-सोमना
१६-तुल	३७-अशोक
१७-लसोड़ा	३८-बिलायती बबूल
१८-बिलायती शीशम सितसाल	३९-छाकर
१९-शोशम	४०-गोबर गिहड़ मूल मोहर
२०-मूक लिव्ज	४१-कंजी
२१-जामुन	४२-कजूर

संशोधन

२२ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३६६४/१४-४५८-५४-१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विन्यास तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम (१९५१) का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १) को धारा ११७ के तहत प्रतिबन्ध से निम्ने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में प्रवर्तित क्षेत्र को जो ११ अक्टूबर, १९५२ को विज्ञप्ति सं० ६१७/१४ के अधीन गांव-समाज में निहित हुआ था, वापस लेते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परमना	ग्राम	भूमि का क्षेत्रफल
उत्तरांचल	हसनगंज	सलोडर	मन्डूमपुर	६६ एकड़
			प्रणयन	

प्रतिहस्ताक्षरित

(SANKAR) Executive Engineer EID-III, UPTCL Lucknow

३६६ फी० तक

कलायाव

प्रतिहस्ताक्षरित